

File No. 01/161/2016-vig./ 443

दिनांक : 09<sup>th</sup> जनवरी, 2024

**विषय: निफ्ट अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा निजी विदेश यात्रा से संबंधित।**

**Subject: Private Foreign Visits by NIFT Employees-reg.**

महोदय/ महोदया/ Sir/ Madam,

जैसा कि आप जानते हैं कि निजी विदेश यात्रा से संबंधित जानकारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाता है।

As you are aware that details with regard to private foreign visits are mandatorily sent to Central Vigilance Commission every year.

इसी को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि आपके केन्द्र से संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 ( 1 जनवरी से 31 दिसम्बर ) में किया गया निजी विदेश यात्रा का ब्यौरा संलग्न प्रपत्र में अद्योहस्ताक्षरी को दिनांक 25/01/2024 तक अवश्य उपलब्ध करायें, जिससे कि आयोग को भी तदनुसार ही सूचित किया जा सके।

In view of this, it is requested that information of such foreign visits on private account undertaken during 2023 (1st January to 31<sup>st</sup> December) by employees of your campus, be sent in consolidate form, in the annexed proforma, to the undersigned latest by 25/01/2024 so that the Commission may be informed accordingly.

इसे समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीया / yours faithfully,

रजनी  
9.01.24.

(रजनी शाह/Rajni Shah)  
सतर्कता अधिकारी/ Vigilance Officer

**संलग्नक: उपरोक्त / Encl: as above**

**To,**

1. सभी निफ्ट केन्द्रों के निदेशक / The Director of all NIFT Campuses
2. पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय/ Registrar, NIFT Head Office-with a request to provide information pertaining to officials of NIFT-HO
3. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) / Director (IT), NIFT Head Office इसे निफ्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ with a request to host this letter under Vigilance Corner of NIFT Web portal.

